दिनांक: 14.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से करीब 60 किलोग्राम अवैध पटाखे (विस्फोटक सामग्री) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.05.2026 की शाम को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त ***कपिल पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम कुआँखेडा थाना नानौता जनपद सहारनपुर*** *को संगम नहर से काशीपुर जाने वाला वाले रास्ते पर बने नहर पुल से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से करीब 60 किलोग्राम अवैध पटाखे (विस्फोटक सामग्री) बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 288 बीएनएस व 5/9बी(1)(ए) विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै करनाल से एक फैक्ट्री से पटाखे खरीदकर लाया था जिन्हे मै महंगे दामो मे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता लेकिन पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कपिल पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम कुआँखेडा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *अवैध पटाखे करीब 60 किलोग्राम*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 श्री निपेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहानरपुर।*
4. *है0का0 106 विक्रान्तमान थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: **14.05.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 01 रेहड़ा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 13.04.2026 को वादी श्री मौ0 अजमल पुत्र उमर निवासी मुर्सलीन ताज कालौनी निकट बागे जन्नत मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से रेहड़ा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0-223/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में चोरी, लूट, डकैती, नकबजी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.04.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान चोरी की घटना का सफल अनवारण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण ***1.तौसीफ पुत्र मुस्तकीम निवासी अहमदनगर थाना मंडी जनपद सहारनपुर 2.सुफियान पुत्र दिलशाद निवासी अहमदनगर थाना मंडी जनपद सहारनपुर*** *को अमन पैलेस चिलकाना रोड की ओर से लगभग 300 कदम पहले राज कॉलोनी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी किये गया रेहड़ा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण- *पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों ने दिन में बाघे जन्नत मस्जिद के पास एक घर के बाहर खड़े हुए रेहडा को चोरी किया था। यही वह रेहडा है और अब हम इसे बेचने जा रहे थे परंतु अभी तक कोई इसको खरीदने वाला हमें नहीं मिला था कि आपने हमें पकड़ लिया।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. तौसीफ पुत्र मुस्तकीम निवासी अहमदनगर थाना मंडी जनपद सहारनपुर।

2. सुफियान पुत्र दिलशाद निवासी अहमदनगर थाना मंडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- *01 रेहडा*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी सहारनपुर।*
2. *है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना मण्डी सहारनपुर।*
3. *का0 1214 शुभम कुमार थाना मण्डी सहारनपुर।*
4. *का0 1213 रितिक कुमार थाना मण्डी सहारनपुर।*

दिनांक: 14.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 01 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.04.2026 को वादी श्री दिलशाद पुत्र रशीद निवासी इलाही मस्जिद जैन कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाईल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 - 224/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी, लूट, डकैती, नकबजी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान चोरी की घटना का सफल अनवारण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त ***शाहनवाज पुत्र मोहम्मद नाजिम निवासी कटहल कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी जनपद सहारनपुर*** *को परवेज की आरा मशीन से आगे एक खाली बाउंड्री वाले प्लांट से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी किये गया मोबाईल फोन ओप्पो कम्पनी ए16 ई बरामद हुआ। गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहनवाज पुत्र मोहम्मद नाजिम निवासी कटहल कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- *01 मोबाईल फोन ओप्पो A 16 ई*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी सहारनपुर।*
2. *है0का0 424 गौरव त्यागी थाना मण्डी सहारनपुर।*

दिनांक: **14.05.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2026 को वादी द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त तालिब पुत्र राशिद निवासी ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की बहन के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करना, हमला करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 266/26 धारा 69 ,351(3),61(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। जिसमें विवेचना के दौरान धारा 64(1), 62, 131, 351(3) बीएनएस की वृद्धि की गई।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नकुड़ श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.05.2026 को उक्त अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त **तालिब पुत्र राशिद निवासी ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को अम्बेहटा रोड निर्माणाधीन कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तालिब पुत्र राशिद निवासी ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार धामा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 202 विवेक धामा नकुड़ जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 14.05.2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा अपहर्ता/पीडिता को सकुशल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 02.05.2026 को वादिया की एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अंकुश पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम दीनारपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर 137/26 धारा 87 बीएनएस एक्ट पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.05.2026 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडिता/अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 69 बीएनएस की वृद्धि की गयी। आज दिनांक 14.05.2026 को वांछित अभियुक्त ***अंकुश पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम दीनारपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर*** *को हरौडा कट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

अंकुश पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. *व0उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।*
2. *म0उ0नि0 रश्मि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 अनिल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 981 निशान्त चौधरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।*
5. *रि0क्रू0 का0 869 इन्द्रदेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 14.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना की मिशन शक्ति/एन्टीरोमियों टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं पर अश्लील फब्तिया कसने वाले 02 मनचले अभियुक्तगण गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिला की सुरक्षा हेतू प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डैस्क व महिला मिशन शक्ति केन्द की स्थापना कर महिला को जागरूक करने तथा महिलाओ की सुरक्षा हेतू लगातार भीड-भाड वाले क्षेत्रों में भ्रमण शील रहकर गस्त/चैकिंग की कार्यवाही हेतू अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी सिमंरन सिंह (I.P.S.) के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.05.2026 को थाना चिलकाना की मिशन शक्ति/एन्टीरोमियों टीम गश्त के दौरान बाजार में आती जाती महिलाओं को देखकर अश्लील फब्तिया कसने वाले 02 मनचले अभियुक्तगण 1.**मौ0 अहमद पुत्र खलील निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 2.मौ0 शाकिब पुत्र यामीन निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को बस स्टैण्ड कस्बा चिलकाना से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 169/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. *मौ0 अहमद पुत्र खलील निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2. *मौ0 शाकिब पुत्र यामीन निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. *म0उ0नि0 श्री अर्चना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2. *म0है0का0 1145 सुनीता थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
3. *रि0आ0 638 ग्रिश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
4. *रि0आ0 578 तेजपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
5. *रि0आ0 588 राजकुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
6. *रि0आ0 579 दीपक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः 14.05.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 208 ग्राम अवैध चरस बरामद

*श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच.एन. सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.05.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **रोहित पुत्र ऋषिपाल निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर** को चोपडा फायर वर्क्स फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 208 ग्राम अवैध चरस नाजायज बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-206/26 धारा – 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

रोहित पुत्र ऋषिपाल निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *208 ग्राम अवैध चरस*

आपराधिक इतिहास अभि0 शोएब उर्फ जवान जोर

1. *मु0अ0सं0 213/21 धारा 414 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 214/21 धारा 414 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 244/21 धारा 379,411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।*
4. *मु0अ0सं0 245/21 धारा 379,411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।*

5. मु0अ0सं0 247/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-</u>

1. उ0नि0 श्री पंकज शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

4. का0 1806 योगेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 14.05.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहत पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 10 लाख रूपये) व 5450/- रुपये नगद बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है।*

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.05.2026 को चैकिंग/गस्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त ***फरमान उर्फ मोनू पुत्र इस्लाम निवासी मोहल्ला भंगी चौक शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर*** *को शेखपुरा टपरी मिनी वायपास तिराहे की तरफ खाली पडे प्लाट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 200/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त फरमान उर्फ मोनू उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का काम करता हूँ तथा स्मैक बेचने का काम भी करता हूँ। आज भी मैं स्मैंक बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे 50 ग्राम स्मैक बरामद कर ली। यह स्मैक मे हरियाणा से अज्ञात व्यक्ति से खरीद कर लाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फरमान उर्फ मोनू पुत्र इस्लाम निवासी मोहल्ला भंगी चौक शेखपुरा कदीम थाना कोत0 देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- *कुल 50 ग्राम अवैध स्मैक*
- *5450/- रुपये नगद*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

1. *मु0अ0सं0 348/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 296/19 धारा 380 भादवि चालानी थाना नकुड सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 200/26 धार 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. *उ0नि0 नरेन्द्र भडाना थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 1245 गौतम सिहं थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।*
3. *है0 का0 824 बाबू सिहं थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 2059 रजत थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः 14.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लालवाला में दो पक्षों के मध्य भूमि स्वामित्व को लेकर हुए विवाद में मारपीट की घटना के संबंध में थाना देवबंद पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2026 को थाना देवबंद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लालवाला में दो पक्षों के मध्य भूमि स्वामित्व को लेकर हुए विवाद में मारपीट की घटना के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 329/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)115(2)/ 352/351(3)/333/324(2)/3(5) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट में पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.05.2026 को 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था तथा आज दिनांक 14.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित 03 अभियुक्त ***1.आशीष पुत्र सतेन्द्र कुमार 2.सागर पुत्र कालू 3.सूरज पुत्र शेर सिह निवासीगण ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*** *को मण्डी गेट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *आशीष पुत्र सतेन्द्र कुमार नि0 ग्राम लालवाला थाना देवबन्द सहारनपुर।*
2. *सागर पुत्र कालू नि0 ग्राम लालवाला थाना देवबन्द सहारनपुर।*
3. *सूरज पुत्र शेर सिह नि0 ग्राम लालवाला थाना देवबन्द सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री रौविल्स कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
3. *है0का0 990 योगेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*
5. *है0का0 1319 अनुज सिरोहो थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*